अरस्तू द्वारा प्रस्तुत संविधानों का वर्गीकरण

अरस्तू ने अपने ग्रंथ 'पालिटिक्स' के तीसरे चौथे और छठे भाग में संविधान अपने विचार तथा राज्यों के वर्गीकरण पर प्रकाश डाला है। उसका यह प्रयास राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण देन के रूप में है। पाश्चात्य जगत् में वह पहला राजनीतिक दार्शनिक था, जिसने संविधान की विधिवत् परिभाषा तथा राज्यों का वर्गीकरण किया। संविधान की परिभाषा करते हुए उसने कहा कि राज्य में विभिन्न पदों का संगठन है, जिसके द्वारा उन पदों के वितरण विधि और सम्प्रभुता सत्ता तथा समुदाय एवं उसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य का निर्धारण होता है।

(A Constitution may be defined as an organisation of offices in a state by which the method of their distribution is fixed and the sovereign authority is determined and the nature of the end to the pursued by the association and all its members is prescribed.)

संविधान का उसकी परिभाषा के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह राज्य का आवश्यक आधार है। इसके अनुरूप ही किसी राज्य का स्वरूप निर्धारण होता है। दोनों के बीच अटूट सम्बंध के कारण ही वह राज्य के वर्गीकरण के रूप में भी प्रस्तुत करता है।

राज्य का वर्गीकरण (संविधान का वर्गीकरण)

अरस्तू ने दो आधारों पर 'राज्यों' का वर्गीकरण किया है - 1. संख्या के आधार पर, (2) उद्देश्य के

आधार पर,

1. संख्या के आधार पर वर्गीकरण :- शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उसने राज्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया है -
(1) एक व्यक्ति का शासन (2) अल्पसंख्यक व्यक्तियों का शासन (3) बहुसंख्यक व्यक्तियों का शासन

2) उद्देश्य अथवा नैतिक आधार पर वर्गीकरण - संख्या के आधार पर वर्गीकृत प्रत्येक राज्य का उसने उद्देश्य अथवा नैतिक आधार पर भी वर्गीकरण किया है। इस आधार पर एक व्यक्ति के शासन को उसने दो भागों में विभक्त किया है - (1) राजतंत्र (2) निरंकुशतंत्र। जब एक व्यक्ति का शासन सामान्य हित की दृष्टि से कार्य करता है, तो वह राजतंत्र और जब वह केवल अपने हित की दृष्टि से कार्य करता है, तो वह निरंकुशतंत्र है।

अल्पसंख्या वाले व्यक्तियों के शासन को उद्देश्य की दृष्टि से दो भागों में बाँटा है - (1) कुलीनतंत्र (2) अल्पतंत्र अथवा धनिकतंत्र। जब शासक वर्ग सामान्य हित की दृष्टि से कार्य करता है तो ऐसे शासन को कुलीनतंत्र और जब वे केवल अपने हित में कार्य करते हैं तो उसे अल्पतंत्र अथवा धनिकतंत्र कहा जाता है।

बहुसंख्यक व्यक्तियों के शासन को उद्देश्य अथवा नैतिक आधार पर उसने दो भागों में विभक्त किया है -
(1) बहुतंत्र अथवा संवैधानिकतंत्र (2) भीड़तंत्र।
ऐसी शासन-व्यवस्था में जब शासक वर्ग सामान्य हित की दृष्टि से कार्य करता है, तो उसे बहुतंत्र अथवा संवैधानिकतंत्र कहा जाता है। आज

Scanned with CamScanner

Date / /
Page

प्रजातंत्र का जिस अर्थ में प्रयोग होता है, उसी रूप में अरस्तू ने बहुतंत्र अथवा संवैधानिकतंत्र का प्रयोग किया है। भीड़तंत्र को उसने डेमोक्रेसी कहा है। जब शासक वर्ग केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है तो ऐसा शासन भीड़तंत्र है।

राज्य का वर्गीकरण करते समय उसने भी प्लेटो की तरह शासन में नियमित परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार राजतंत्र के बाद कुलीनतंत्र, उस के बाद अल्पतंत्र और तत्पश्चात बहुतंत्र तथा भीड़तंत्र आता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया कालचक्र की तरह चलती रहती है।

आलोचना (Criticism) :-

अरस्तू ने संख्या तथा उद्देश्य के आधार पर राज्य का जो वर्गीकरण किया है, उसकी दृष्टियों से आलोचना की गयी है। इसके आलोचकों में गार्नर और वानमहल के नाम प्रमुख हैं। उन्होंने निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की है -

1. अरस्तू ने राज्य का नहीं, सरकार का वर्गीकरण किया है। ऐसा कर उसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया है। इस आलोचना के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि प्राचीन यूनान में दोनों में कोई अंतर नहीं था। आज सरकारों के स्वरूप के आधार पर ही राज्य का वर्गीकरण होता है, अतः इस प्रकार की आलोचना उचित नहीं है।

2. यह अवैज्ञानिक है क्योंकि यह संख्या के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। इस आलोचना के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि अरस्तू ने संख्या से अधिक उद्देश्य और नैतिक आधार पर बल दिया है। बर्गस ने तो स्पष्ट रूप से कहा है

कि अरस्तू द्वारा किया गया वर्गीकरण संख्यावाचक नहीं, अपितु नैतिक और आध्यात्मिक है।

3. अरस्तू के इस वर्गीकरण की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसमें लोकतंत्र के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है, उसने इसे भीड़तंत्र की संज्ञा प्रदान की है।

4. राज्यों के परिवर्तन चक्र का जो स्वरूप इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह का परिवर्तन चक्र देखने को नहीं मिलता है।

महत्व :-

यद्यपि अरस्तू द्वारा राज्यों के किये गये इस वर्गीकरण की अनेक दृष्टियों से आलोचना की गयी है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीतिशास्त्र में इसका कोई महत्व नहीं है, यह उचित और पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी आधुनिक काल में राज्य एवं सरकार के वर्गीकरण का आधार है। 'गिलक्राइस्ट' ने आज तक के वर्गीकरणों का इसे ऐतिहासिक आधार माना है।

Scanned with CamScanner